न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
137 / 2023 / प्रार्थना पत्र	2023 / 174	06.06.2023	09.09.2025

अनवान

1–5 रतनलाल, लालाराम, लाड, रामधन, भूरा लाल पिता मगना मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– बाली पत्नी नाथू अचारज निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– कमला पत्नी नाथू अचारज निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3–6 महावीर, दिलखुश, माया, गीता पिता नाथू अचारज निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7–13 कैलाश, छोटू, भूरी, मिश्री, लाला, सुशीला, सायरी पिता छोगा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
14–15 आरामी, गणेश पिता घीसा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
16– गोरी देवी पत्नी घीसा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
17– चांदमल पुत्र मोडा मीणा निवासी कादीसहना हाल निवासी खान का खोहला ग्राम पंचायत गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
18–19 छोटू, जगदीश पिता लादू मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
20–जयसिंह पुत्र हीरा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
21– मनभर पुत्री मोडा मीणा निवासी कादीसहना हाल निवासी खान का खोहला ग्राम पंचायत गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
22– रामकिशन पुत्र हीरा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
23– रामराज पुत्र मोडा निवासी कादीसहना हाल निवासी खान का खोहला ग्राम पंचायत गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
24– शिवराज पुत्र हीरा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
25– सांवर लाल पुत्र घीसा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
26– सोहनी पत्नी मोडा मीणा निवासी कादीसहना हाल निवासी खान का खोहला ग्राम पंचायत गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
27– शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
28– शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
29– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –	श्री अक्षयराज रेबारी	–अभिभाषक प्रार्थी
	श्री दिनेश चंद्र व्यास	–अभिभाषक विपक्षीगण 28
	विपक्षीगण संख्या 1 से 27	–एकतरफा कार्यवाही
	राज्य पक्ष	–पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 29.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा स्थित खाता संख्या 558 किता 11 कुल रकबा 3.51 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण खसरान में से आराजी नम्बर 741 पर रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात 741 पर पहुंचने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए आराजी नम्बर 1033 गै.मु. रास्ता से प्रवेश कर आराजी नम्बर 753, 754, 752 के बीच स्थित मेड पर विपक्षीगण की आराजी में से होते हुए आराजी नम्बर 741 पर पहुंचे है। प्रार्थीगणों के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता प्रार्थीगणों के अपनी अराजी पर आने जाने के लिए मौके पर मौजूद है। लेकिन विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 ने आराजी नम्बर 754 की मेड पर खाई खोदकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया और अन्य विपक्षीगणों ने भी उक्त आराजी पर आने जाने के लिए रास्ता अवरूद्ध कर दिया। इस कारण प्रार्थीगणों को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी में से 12 फीट चौड़ा नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा में स्थित विपक्षीगण की आराजी 753, 752, 754 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। तदोपरान्त विपक्षीगण संख्या 28 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र व्यास के उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 27 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राज्य सरकार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। विपक्षीगण संख्या 28 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद किया गया।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण को मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता है। मार्ग की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं की गई है। एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी 741 पर पहुंचने हेतु गे0मु0 रास्ता आराजी नम्बर 1033 से आराजी नम्बर 752 की दक्षिणी मेड़ व आराजी नम्बर 753, 754 की उत्तरी मेड़ से होकर आते जाते है। विपक्षीगण आराजी संख्या 752 रास्ता देने में सहमत है। एवं आराजी नम्बर 754 के विपक्षीगण भी आधा रास्त देने में सहमत है।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता पर सहमति जताते हुए नवीन रास्ता कायमी के आदेश हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:—

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थी अपनी की खातेदारी आराजियात 741 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुतम है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षी संख्या 01 लगायत 26 की खातेदारी आराजी नम्बर 752 रकबा 0.44 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0296 हैक्टेयर(148 मीटर गुणा 2 मीटर/296 वर्ग मीटर), आराजी नम्बर 753 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता कायमी हेतु 0.0048 हैक्टयर (24 मीटर गुणा 2 मीटर/48 वर्ग मीटर) एवं आराजी नम्बर 754 रकबा 0.84 हैक्टयर में से नवीन रास्ता कायमी हेतु 0.0260 हैक्टयर (130 मीटर गुणा 2 मीटर/260 वर्ग मीटर) भूमि उपयोग में आयेगी। इस प्रकार कुल किता 3 रकबा 0.0604 हैक्टयर(604 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि संबंधित अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0296 है0 को आराजी नम्बर 752 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 0.0048 हैक्टयर को आराजी नम्बर 753 रकबा 0.16 हैक्टयर एवं 0.0260 हैक्टयर भूमि आराजी नम्बर 754 रकबा 0.84 हैक्टयर में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 09.09.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :—

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा